

शहर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार की 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 के अनुसार उल्लिखित नीति के नियमों और शर्तों पर विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट (प्रोजेक्ट पूरा होने के अंतिम चरण में है) के तहत आवासीय अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए सर्वसाधारण से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)

1. प्रोजेक्ट को प्राप्त स्वीकृतियाँ / कॉलोनाइजर / डेवलपरः सिग्नेचरग्लोबल (भारत) प्राइवेट लि. लाइसेंस नं. / वर्षः 04 / 2017 एवं 02.02.2017, भवन योजना की स्वीकृति 08.06.2017. मेमो नं. ZP-1140/SD(BS)/2017/12572. 2. स्थान : सेक्टर 37-D, गुरुग्राम, हरियाणा । 3. प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल संबंधी <mark>प्रावधान</mark> : हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत 9.701 एकड़ में कुल 1448 अपार्टमेंट में से 116 अपार्टमेंट आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं। इनमें 5% फ्लैट मैनेजमेंट कोटे में आरक्षित हैं और 95% अपार्टमेंट सर्वसाधारण के लिए हैं। समुदाय सुविधाएँ : 2000 वर्गफुट का एक समुदाय भवन और 2000 वर्गफुट का एक ऑगनवाड़ी—सह-क्रेश । 4. **सर्वसाधारण के लिए अपार्टमेंट के विवरण** • कैंटेगरी 2: (i) 16 अपार्टमेंट प्रत्येक का कार्पेट एरिया 552.360 वर्गफुट (51.316 वर्ग मीटर लगभग) और बाल्कनी (बाल्कनियाँ) कुल क्षेत्र मिलाकर 79.653 वर्गफुट (7.4 वर्ग मीटर लगभग) के साथ-साथ दुपहिया वाहन पार्किंग। (ii) 34 अपार्टमेंट प्रत्येक का कार्पेट एरिया 585.944 वर्गफुट (54.436 वर्ग मीटर लगभग) और बाल्कनी (बाल्कनियाँ) कुल क्षेत्र मिलाकर 79.545 वर्गफुट (7.39 वर्ग मीटर लगभग) के साथ-साथ दुपहिया वाहन पार्किंग। (iii) 32 अपार्टमेंट प्रत्येक का कार्पेट एरिया 519.229 वर्गफुट (48.238 वर्ग मीटर लगभग) और बाल्कनी (बाल्किनियाँ) कुल क्षेत्र मिलाकर 79.653 वर्गफुट (7.4 वर्ग मीटर लगभग) के साथ—साथ दुपहिया वाहन पार्किंग। (iv) 17 अपार्टमेंट प्रत्येक का कार्पेट एरिया 596.126 वर्गफुट (55.382 वर्ग मीटर लगभग) और बाल्कनी (बाल्कनियाँ) कुल क्षेत्र मिलाकर 79.653 वर्गफुट (7.4 वर्ग मीटर लगभग) के साथ-साथ दूपहिया वाहन पार्किंग। मैनेजमेंट कोटे के लिए अपार्टमेंट के विवरण • कैटेगरी 2A(मैनेजमेंट कोटा): (i) 9 अपार्टमेंट प्रत्येक का कार्पेट एरिया 596.126 वर्गफुट (55.382 वर्ग मीटर लगभग) और बाल्कनी (बाल्कनियाँ) कुल क्षेत्र मिलाकर 79.653 वर्गफुट (7.4 वर्ग मीटर लगभग) के साथ—साथ दुपहिया वाहन पार्किंग। (ii) 8 अपार्टमेंट प्रत्येक का कार्पेट एरिया 644.510 वर्गफुट (59.877 वर्ग मीटर लगभग) और बाल्कनी (बाल्कनियाँ) कुल क्षेत्र मिलाकर 79.653 वर्गफुट (7.400 वर्ग मीटर लगभग) के साथ—साथ दुपहिया वाहन पार्किंग। <mark>5. अपार्टमेंट की आवंटन दर (कर सहित) + जीएसटी, जो लागू हो •</mark> कैटेगरी 2: (i) 22,49,267 रुपये (ii) 23,83,549 रुपये (iii) 21,16,743 रुपये (iv) 24,24,331 रुपये • कैंटेगरी 2A(मैनेजमेंट कोटा): (i) 24,24,331 रुपये (ii) 26,17,867 रुपये। उपरोक्त दर 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 से निर्धारित नीति के अनुसार अपार्टमेंट का कुल मूल्य है। इसके अतिरिक्त लागू जीएसटी भुगतान करना होगा। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)। वैधानिक कर देय हैं। 6. भुगतान के नियम : i. आवेदन के साथ : बुकिंग की राशि अर्थात् फ्लैट मूल्य का 5%. • कैटेगरी 2: (i) 1,12,463 रुपये (ii) 1,19,177 रुपये (iii) 1,05,837 रुपये (iv) 1,21,217 रुपये • कैटेगरी 2A(मैनेजमेंट कोटा): (i) 1,21,217 रुपये (ii) 1,30,893 रुपये। ii. एलॉटमेंट पर : फ्लैट मूल्य का अतिक्ति 20%। कैटेगरी 2: (i) 4,49,853 रुपये (ii) 4,76,710 रुपये (iii) 4,23,349 रुपये (iv) 4,84,866 रुपये • कैटेगरी 2A(मैनेजमेंट कोटा): (i) 4,84,866 रुपये (ii) 5,23,573 रुपये | ii. बाकी 75% राशि छः बराबर किश्तों में तीन वर्षों की अवधि में देनी होगी। भुगतान की नियत तिथि से पहले ब्याज नहीं लगेगा। भुगतान में कोई भी चूक व देरी पर प्रतिवर्ष 15% की दर से ब्याज का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा**। 7. अपार्टमेंट के बारे में सामान्य विवरण •** फ्लोरिंग : कमरों में विट्रिफाइड टाइल्स, किचन में विट्रिफाइड / सिरामिक टाइल्स, टॉयलेट में एंटी स्किड सिरामिक टाइल्स, बाल्कनी में एंटी स्किड / मेट फिनिश सिरामिक टाइल्स • खिड़कियाँ : IS कोड के अनुसार M.S. सेक्शन खोलने योग्य/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/फिक्स विंडो पेंट फिनिश के साथ • दरवाज़ों के फ्रेम : रेड मरडी/माइल्ड स्टील / हार्ड वृड / अल्युमिनियम पाउडर कोटेड • दीवार : ऑयल बांड / वॉल पेपर्स • किचन काउंटर टॉप ग्रीन मार्बल / ग्रेनाइट • दीवार : ऑयल बांड डिसटेंपर • डांडो : सिरामिक टाइल्स काउंडर के ऊपर 600 मिमी तक • सैनिटरी फिटिंग : ISI मार्का CP फिटिंग एवं सिंगल ड्रेन बोर्ड सिंक; टायलेट एवं बाथ : W.C. एवं वॉशबेसिन, ग्रिंड फॉल सीलिंग, सिरामिक टाइल्स 4 से 7 फूट ऊँचाई तक और उसके ऊपर ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर • इलेक्ट्रिक फिटिंग ः ISI मार्का स्विच और सॉकेट; अंदर कसील्ड कंडुइट में पूरी कॉपर की बिजली वायरिंग हल्के पॉइंट के लिए <mark>। 8. आवेदन की समय सीमाएँ</mark> ः **i** आवेदन पत्र दिनांक 05.05.2018 से आवेदन शुल्क 1000 रुपये भुगतान कर सिग्नेचर ग्लोबल (भारत) प्राइवेट लि. पता : ग्राउंड फ्लोर, सिग्नेचर टावर्स, साउथ सिटी—1, गुरुग्राम—122001, 0124—4908200 से प्राप्त और इसी पते पर जमा कर सकते हैं। ii आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 20.05.2018. iii. वितरण और संग्रह केंद्रों की सूची www.signatureglobal.in पर उपलब्ध है। iv. आवेदन पत्र प्राप्त करने और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा www.signatureglobal.in पर भी उपलब्ध है। <mark>योग्यता : 1.</mark> आवेदक पर किसी मौजूदा कानून के तहत कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार करने पर रोक नहीं हो। 2. आवेदन कोई भी व्यक्ति कर सकता है पर उस आवेदक को पहली प्राथमिकता दी जाएगी जिसके खुद या पत्नी /पति, आश्रित बेटे / बेटी के नाम हुड़ा द्वारा विकसित किसी कॉलोनी / सेक्टर या हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शहरी क्षेत्र में कोई फ्लैट / प्लॉट आवंटित न हो। 3. एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है। इस नीति के तहत सफल कोई भी आवेदक इस नीति के तहत अन्य किसी कॉलोनी में अन्य फ्लैट के लिए आवेदन योग्य नहीं माना जाएगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक कॉलोनी में आवंटन के लिए सफल होता है तो पसंद का केवल एक फ्लैट चुनना होगा। पूर्वगामी (आगामी) को प्रभावी बनाने के लिए आवेदक को एक शपथ पत्र देना होगा। <mark>आवंटन के मानक</mark>ः 1. अपार्टमेंट का आवंटन एक समिति के सामने लॉट्टी से होगा। समिति में उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि (न्यूनतम हरियाणा लोक सेवा स्तर के अधिकारी), वरिष्ठ नगर नियोजक (सर्कल कार्यालय), सबद्ध जिले के डीटीपी और सबद्ध कोलोनाइज़र के प्रतिनिधि होंगे। 2. लॉट्री की तिथि निर्धारित करने के बाद डेवलपर उसी समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे जिसमें यह मूल विज्ञापन प्रकाशित होगा। विज्ञापन में आवेदकों को लॉट्री की तिथि और स्थान के विवरण दिए जाएँगे। 3. मानकों की पूरी जानकारी और आरंभिक जाँच और आवटन के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए आवेदक अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 के विवरण देखें जो 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 में उपलब्ध हैं। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.govin पर उपलब्ध हैं)।







RERA REG, NO.: 3 OF 2017 DATED 20-06-2017

HOME LOAN

























डिस्क्लेमर : रीयल एस्टेट (नियमन एवं विकास अधिनियम, 2016 और 'रेरा'' के अंतर्गत नियम) और इसके नियमों के लागू होने से रीयल एस्टेट सेक्टर में कई बड़े बदलाव आए हैं। सिग्नेचर ग्लोबल रेरा के प्रावधानों के अनुपालन के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध है। सिग्नेचर ग्लोबल का आवेदकों से आग्रह है कि प्रोजेक्ट के निर्माण की प्रस्तावित साइट का खुद निरीक्षण कर लें। आवेदक कंवल आर्किटेक्चरल इम्प्रेशन, प्लान या सेल्स ब्रोशर पर विश्वास नहीं करें या उनसे प्रभावित नहीं हो जाएँ। किसी प्रोजेक्ट के बारे में समझने और वर्तमान विवरणों से पूर्ण परिचित होने के लिए उनसे आग्रह है कि हमारी सेल्स टीम से संपर्क करें। इसके बाद सिग्नेचर ग्लोबल के किसी प्रोजेक्ट में कोई अपार्टमेंट बुक करने का निर्णय लें। उपरोक्त दरों में जीएसटी और अन्य वैधानिक शुल्क नहीं लगे हैं।